

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 275/18 तारीख रजू 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का वीचपुरी बनाम
 श्री इन्दर पुत्र मधनन्द जाति मेना निवासी साधपुर तहसील
महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 14/04/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि
 उक्त श्री इन्दर ने ग्राम साधपुर को भूमि ख.न. 200/643 रकबा 0.04
 किस्म चरागाह फसल रबि / खरीफ संवत 20 74 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया
 है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नहीं
 आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय
 कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है
 प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया
 जा उचित है

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 200/643 रकबा 0.04
 किस्म चरागाह वाके ग्राम साधपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित
 भूमि के वार्षिक लगान का 0.64750 गुणा 3225 शस्ति से दण्डित किया जाता है।
 तथा इस पर खडी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
 भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा
 भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश
 जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।
 पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
 तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 53 पर
 वर्ष 2017-18 में पैनल्टी/प... नीलामी
 की राशि 3225 प...
 की जमा वाकिली की राशि
 दिनांक : 20/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
Postey
 तहसील-महवा